


पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2024  
कैम्प सरागा में पेश हुई। वादी गिरधारी पि  
देवी रैगर निवासी गौवा द्वारा पूर्व में ही शापली  
समसाश्श से अनुतोष प्राप्त कर लिया है।  
वादी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र  
पेश कर वाहपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं  
चाहने बात निवेदन किया। वादी का प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाकर वाह पत्र ~~अन्तर्गत~~  
खारीज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।  
अतः वाहपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राज०  
प्रश्न० अधिनियम इसी स्टेज पर खारीज किया  
जाएँ। पत्रावली फाइल नुमार घोर नम्बर  
र कम हों।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भाण्डलमढ़ जे-भीलवाड़ा